राजस्थानसरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in

Phone: 0141-2740219

क्रमांक :– एफ.1 (301)/RGHS/कम्प्यूटर क्रय/2021–22/ 867 दिनांक 28.08.2021

ई बोली आमंत्रण सूचना /2021–22

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए **कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक , वित्त भवन, जनपथ जयपुर** की **RGHS-2021** योजना के उपयोग हेतु प्रिन्टर, कम्प्यूटर मय यूपीएस कय करने हेतु बोनाफाइड विनिर्माता, थोक विकेता, सोल वितरक, प्राधिकृत डीलर, डीलर सोल विकय, विपणन एजेन्ट जो वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नंबर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो से निम्नानुसार ई बोली (तकनीकी व वित्तीय बोली) आंमत्रित की जाती है।

	सामग्री का विवरण (Supply with Installation)	अनुमानित लागत (रुपये)	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि (रुपये)	RISL प्रोसेसिंग फीस (रुपये)	बोली दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की दिनांक एवं समय	बोली दस्तावेज अपलोड कराने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Supply Of Installation of – Desktop Computer and UPS (Qty 15-15) Supply Installation of Network Multi Functional Laser Printer and UPS (Qty 4-4)	10.95 लाख (दस लाख पिचयानवें हजार मात्र) 1.29 लाख (एक लाख उनतीस हजार मात्र)	रू 50/– के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर बोली प्रतिभूति घोशणा पत्र	1000/– (DDO code 36829) बजट मद 0075 –विविध सामान्य सेवाएं 800–अन्य प्राप्तियाँ (52) निविदा शुल्क (01) निविदा शुल्क की प्राप्तियाँ	500/– 8658–00–102 –(16)–[01] में जमा करवाना है। वित्त (जी एण्ड टी) क्रमांक पं 6(5) वित्त/सा.वि.ले. /2018 दिनांक 27.04. 2020 के अनुसार	28.08.21 3:00 पीएम	13.09.21 3:00 पीएम	13.09.21 4:00 पीएम
	Total	12.24 लाख						

G:\Computer_Printer E Tender.docx

Scanned by CamScanner

1. विस्तृत ई बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. ई– बोली केवल httsp://eproc.rajasthan.gov.in पर ही स्वीकार की जायेगी। वित्तीय बोली/प्राईस बिड के लिए ई–प्रक्योरमेंट पोर्टल पर ही राशि का अंकन किया जाना है।
3. वित्त (G&T) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.20 एवं परिपत्र दिनांक 23.12.20 के अनुसार रूपये 50/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बोली प्रतिभूति घोशणा – पत्र (मूल) प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे दिनांक 13.09.21 को अपरान्ह 03:30 बजे तक कमरा नंबर ''208–डी'', डी ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जयपुर में जमा करवाया जाना होगा। जिन बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित समय तक बोली प्रतिभूति घोषणा– पत्र भौतिक रूप से जमा नहीं करवाया जायेगा, उनकी तकनीकी बोली नहीं खोली जायेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा कराई जानी होगी।
4. कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रिन्टर यू.पी.एस हेतु आमंत्रित बिड का तकनीकी बोली दिनांक 13.09.2021 को सायं 4:00 बजे **परियोजना निदेशक (आरजीएचएस) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक , वित्त भवन, जनपथ जयपुर** के कक्ष संख्या ''208–डी'', डी ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जयपुर में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
5. किसी ई– बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

(हस्ताक्षर)
परियोजना निदेशक
(आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि,
वित्त भवन जयपुर।

G:\Computer_Printer E Tender.docx

Scanned by CamScanner

बोली प्रपत्र

कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएसएस), राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर में प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस क्रय करने हेतु बोली प्रपत्र

का मूल्य 1000/–(रूपये एक हजार मात्र)

बिड प्रतिभूति अमानत राशि के रूप में 50/–के स्टाम्प पर **Bid Securty Declaration** निविदा से प्रोफार्मा संलग्न परिशिष्ट ई पर अंकित है।

नोटः–

(1) इस बोली प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट सलग्न है।

1. तकनीकी बोली प्रपत्र
2. वित्तीय बोली प्रपत्र – परिशिष्ट 'एफ'
3. बोली की शर्ते – परिशिष्ट 'जी'
4. अन्य परिशिष्ट ए से डी ।

(2) निविदाऐं तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में ई–उपापन के माध्यम से प्रस्तुत करनी है।

1. वोनाफाइड विनिर्माता, थोक विक्रेता, सोल वितरक, प्राधिकृत डीलर, डीलर, सोल विक्रय, विपणन ऐजेण्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
2. बिड प्रतिभूति अमानत राशि के रूप में 50/–के स्टाम्प पर Bid Securty Declaration निविदा से पूर्व भौतिक रूप से जमा करवाना होगा। (परिशिष्ट ई)
3. बिड निविदा शुल्क 1000/– एवं आरएसआईएल शुल्क 500/– का ई–ग्रास के माध्यम से चालान की प्रति संलग्न करनी होगी।
4. फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज की स्व. प्रमाणित छायाप्रति।
5. जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
6. किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।

(3) जिन फर्मों/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र ई–उपापन के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

(4) "**तकनीकी निविदा**" और "**वित्तीय निविदा**" भी ई–उपापन के माध्यम से ऑनलाइन किये जायेंगे।

(5) दिनांक 13.09.2021 को अपरान्ह् 3:00 पीएम बजे तक ई–उपापन के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 13.09.2021 को अपरान्ह् 4.00पीएम बजे निविदाओं को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस क्रय की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को ई–उपापन से प्राप्त किये जा सकते है।

(6) तकनीकी परीक्षण के दौरान प्रिन्टर/कम्प्यूटर का डेमो प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी निविदाताओं को बुलाया जा सकता है और बुलाये जाने की स्थिति में उन्हे निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिये किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण उपकरण आदि व्यवस्था **कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर** द्वारा नहीं कराई जावेगी, न ही किसी प्रकार के खर्चे का पुनर्भरण किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण निविदादाता स्वयं के खर्चे पर करेगा।

(7) सभी परिशिष्ट ए से जी तक पूर्ति कर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर ई उपापन के माध्यम से प्रस्तुत करने है।

परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
जयपुर।

G:\Computer_Printer E Tender.docx

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

आरजीएचएस

'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।

तकनीकी ई–बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....
2. डाक का पता ....

....
3. निविदा सूचना कमांक ....
4. फोन/मोबाईल नंबर ....
5. ई–मेल ....
6. बैंक का नाम ....

IFSC COde ....

खाता संख्या ....
7. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय ....अपरान्ह् 3:00 पीएम
8. निविदा शुल्क राशि रूपये 1000/–(राशि रूपये एक हजार मात्र) एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500/– (राशि रूपये पॉच सौ मात्र) ई ग्रास चालान ई–उपापन के माध्यम से जमा कर प्रति संलग्न करनी है ।
9. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

क. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
2	आय कर (पैन नंबर)				
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत				

G:\Computer_Printer E Tender.docx

Scanned by CamScanner

10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्श (2018–19, 2019–20 व 2020–21) में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्न ऑवर 15 लाख रूपये होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेट अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र/बैंलेस सीट की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है।

11. वित्त (G & T) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 (Annexure - E) के अनुसार रू 50/– के गैर न्यायिक स्टॅाम्प पेपर पर बोली प्रतिभूति घोशणा पत्र (मूल) प्रस्तुत किया जायेगा जिसे दिनांक .... को अपरान्ह् 03:30 बजे तक **कमरा नं. "208 डी", डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर** में जमा करवाया जाना होगा। जिन बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित समय तक बोली प्रतिभूति घोषणा–पत्र भौतिक रूप से जमा नहीं करवाया जायेगा, उनकी तकनीकी बोली नहीं खोली जायेगी। बोली प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस रूपये 500/– E-GRASS चालान के माध्यम से जमा कराई जानी होगी।

12. मै/हम परियोजना निदेशक(आरजीएचएस) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग डी ब्लॉक वित्त भवन, जयपुर ई बोली आमंत्रण सूचना ..../2021–22 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई उक्त ई–बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

13. 1 डेस्कटॉप कम्प्यूटर मेंक..........................मॉडल..........................वारंटी अवधि..........................
2 प्रिंटर मेंक..........................मॉडल..........................वारंटी अवधि..........................
3 यूपीएस..........................मॉडल..........................वारंटी अवधि..........................
(बोलीदाता द्वारा भरा जाना अनिवार्य है।)

14. संवेदक/बोलीदाता द्वारा समस्त बोली दस्तावेजों को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण पत्र एवं कागजात के साथ तकनीकी बोली/क्वालिफाईड बिड के साथ स्वप्रमाणित कर स्कैन कर ई–प्रक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना है।

15. तकनीकी रूप से क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी।

16. सभी परिशिष्टों को ए से जी में पूर्ति कर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर ई प्रक्योरमेन्ट पोर्टल पर तकनीकी ई निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाममय सील

G:\Computer_Printer E Tender.docx

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

आरजीएचएस

'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।

सामान्य शर्तेः–

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) **पात्रता(Eligibility Criteria)** जो अनिवार्य है, के अभाव में बिड/बोली निरस्त मानी जावेगी।

1. निविदादाता **को बिड प्रतिभूति अमानत राशि के रूप में** 50/–**रूपयें के स्टाम्प पर (इस स्टाम्प ड्यूटी पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है) Bid Secutty Diclatation** निविदा के **पूर्व भौतिक रूप से मूल ही** प्रस्तुत **करना होगा**, जो **कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर** के नाम होना चाहिये। बिड **Bid Secutty Diclatation** के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. **निविदायें तकनीकी बिड व वित्तीय बिड ई–उपापन के माध्यम से करनी होगी।**

3– (प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र ऑनलाइन किये जायेगें :–

(क) 50/– रूपये के स्टाम्प पर Bid Secutty Diclatation निर्धारित समय व दिनांक को प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) बिड निविदा शुल्क 1000/– एवं आरएसआईएल का शुल्क 500/– रूपये ई–चालान के माध्यम से जमा करवाकर ई–पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज। (स्व प्रमाणित)

(घ) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)(स्व प्रमाणित)।

(ड.) किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।

(च) बोनाफाइड विनिर्माता, थोक विकता, सोल वितरक, प्राधिकृत डिलर, डिलर, सोल विकय, विपणन ऐजेण्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013, जिसे आगे ''अधिनियम'' व ''नियम'' कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगे। बोलीदाता को ''अधिनियम'' एवं ''नियम'' की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त ''अधिनियम'' एवं ''नियम'' में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त '' अधिनियम'' एवं ''नियम'' के प्रावधान ही प्रभावी होगें।
5. बोली की विधि मान्यता 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
6. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
7. ई–बोली की दरें एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी।

8. मूल्यांकन की कसौटी–तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की प्रत्येक आइटम की प्रति ईकाई, प्रति नग, @ per (जिसमें जीएसटी व अन्य समस्त व्यय

Scanned by CamScanner

शामिल है) की न्यूनतम कीमत (मूल्य) के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

9. बोलियों का अपवर्जन–अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित (Exclude) किया जा सकेगा।

10.वित्त (G & T) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 एवं परिपत्र दिनांक 23.12.2020 Annexure-E) के अनुसार रू. 50/– के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर (इस स्टाम्प ड्यूटी पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है) बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र मूल ही भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा जिसे दिनांक................ को अपरान्ह् 3:30 बजे तक **कमरा नं. D-208 डी ब्लॉक द्वितीय तल, वित्त भवन, जयपुर** में जमा करवाया जाना होगा। जिन बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित समय तक बोली प्रतिभूति घाषणा–पत्र मूल ही भौतिक रूप से जमा नहीं करवाया जायेगा, उनकी तकनीकी बोली नहीं खोली जायेगी। बोली प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस रू 500/– E-grass चालान के माध्यम से जमा कराई जानी होगी।

11.**बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)** बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा –

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किंतु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार (agreement) निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर व यूपीएस (Supply with installation) सप्लाई प्रारंभ नही करता।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय – 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिश्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

12.करार का निशपादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Execution of Agreement and Performance Security)

(अ) ई–बोली आमंत्रण में अंकित सामग्री की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से 15 दिन में सामग्री के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,वित्त भवन, जयपुर** के नाम पर या आर.टी.पी.पी नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार जमा करानी होगी एवं सफल बोलीदाता स्वयं के व्यय पर 500/– रूपये राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। जिसकी पालना के लिए अनुबंधित बोलीदाता मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होगे।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

13.कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समहरण (Forfeiture of Performance Security) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा –

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता संपूर्ण सामग्री सप्लाई संतोशजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

Scanned by CamScanner

(ग) जब बोलीदाता सामग्री सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सामग्री की सप्लाई आरंभ करने में असफल रहता हों। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संवध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) वारंटी अवधि में शिकायत पर सेवाएं नही देने पर प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।

14. भुगतान :– सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। बिल का भुगतान नियमानुसार कर/वसूली आदि की कटौती उपरांत किया जावेगा।

15. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामलों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें। इस हेतु बोलीदाता/संवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग सवंध प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से बोली दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करानी होगी।

16. बोली की निर्वचन के सबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, डी ब्लॉक वित्त भवन, जयपुर से दूरभाष नं 09413341894/9950063099 ईमेल **add.dir.rghs@rajasthan.gov.in** पर संपर्क किया जा सकता है।

17. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

18. फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राज. लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तों एवं नियमों की पालना करनी होगी। फर्म द्वारा उक्त प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस समय पर आपूर्ती नहीं करने पर विलम्ब के लिए फर्म द्वारा दिये बिल से या जमा प्रतिभूति राशि में से क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार काटी जायेगीः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक कितु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

19. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

20. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।

21. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।

22. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण–पत्र स्वप्रमााणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।

23. सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ खोली जावेगी, जिसकी उपापन समिति जाँच करेगी। जाँच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेंगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।

24. उपापन संस्था उसके द्वारा प्रारंभ की गई उपापन की प्रक्रियां को सफल बोली की स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय या सफल या सफल बोली स्वीकृति होने के

Scanned by CamScanner

पश्चात आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 26 की उपधारा (4) व (5) के अनुसार रद्द कर सकेगी।

25. आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा के अनुसार किसी उपापन प्रक्रियां में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहिप संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

26. आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 7(2) किके अनुसार किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्वावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करेगा।

(ख) ऐसे करों को संदत करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगा।

(ग) अपने वृतिक आचरण या उपापन प्रक्रियां के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओ के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक उपराध के संवंध में न तो स्वयं और न उसके निदेशक और अधिकारी दोषसिद्वि हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

(घ) ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्वावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप में प्रभावित करें।

27. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के 15 दिवस में निविदा में अंकित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

28. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के 15 दिवस में संविदा के 2.5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत राशि) जब्त कर दी जावेगी। प्रतिभूति राशि गारण्टी/वारण्टी अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के 60 दिवस के पश्चात लौटाई जावेगी।

29. अनुबंधित फर्म प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस क्रय का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।

30. प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस के इंस्टालेशन प्रोग्रामर/कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर की देखरेख में निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

31. उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक .... अपरान्ह 3:00 पीएम बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned by CamScanner

32. सफल निविदादाता द्वारा प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस की आपूर्ती मय installation करने के पश्चात् ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

33. प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यू.पी.एस. क्रय अवधि में चालू रहने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

34. फर्म द्वारा प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यू.पी.एस. क्रय अवधि की दी गई दरों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। कर (tax) ना जमा कराने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

35. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये संवेदक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

36. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

37. यदि अनुबंधित फर्म के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर इंजीनियर न्यायालय में अनुतोश पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को अनुबंधित फर्म को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

38. प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस इंस्टालमेंट के समय लगाये जाने वाले इंजीनियरों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णरूप से अनुबंधित फर्म जिम्मेदार होगी।

39. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर **परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर** द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे अनुबंधित फर्म को मानना होगा।

40. सभी विवादों को न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

41. प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस आपूर्ती की वारंटी अवधि में प्राप्त शिकायत का इन्द्राज कर फर्म से कार्य करायेंगे तथा इसकी मोनेटरिंग सिस्टम अनुभाग द्वारा की जायेगी। वारण्टी अवधि में शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

42. विभाग से प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस वारंटी अवधि में ठीक करने हेतु बाहर ले जाने पर स्टोर से गेट पास लेना होगा।

43. अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंखन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध को भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिती में संविदा समाप्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर का होगा।

44. कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर को बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताये संविदा/ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

45. प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस वारंटी अवधि में तत्काल ठीक करना होगा।

Scanned by CamScanner

46. अनुबंधित फर्म द्वारा समस्त प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस आदेश में उल्लेखित तिथि तक ही आपूर्ति करनी होगी। समयावधि समाप्त होने के पश्चात फर्म द्वारा आपुर्ति करने पर भुगतान में विलम्ब होने एवं भुगतान नहीं होने के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

47. डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस के प्रतिष्ठित एवं प्रचलित ब्राण्ड भारत मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित उपकरणों की निविदांए ही मान्य होगी व निविदा में दिये गये पूर्ण विवरण स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही अच्छी किस्म की आपूर्ति करनी होगी।

48 .कम्प्यूटर आपूर्ति के साथ ऑरिजनल विंडो प्रोग्राम उपलब्ध करवाना होगा।

49. दी गई समस्त दरें इस कार्यालय पर FOR होगी।

50. प्रदाय सामग्री का इनस्टालेशन निर्धारित समय विधि में तत्काल करना होगा।

51. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा में कमी/बढोतरी का पूर्ण अधिकारी कार्यालय परियोजना निदेशक(आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को होगा।

52. डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस का मेक मॉडल तकनीकी निविदा में भरना अनिवार्य है।

परियोजना निदेशक
(आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता..

मोबाईल/टेलिफोन नं......................

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विमाग, साधारण बीमा निधि, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर के लिये प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस क्रय हेतु निविदा प्रपत्र

Supply Installation of – Desktop and UPS (Qty 15 - 15) Supply Installation of Multi Functional Printer with UPS (qty 4) क्रय की दरे देने का (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस क्रय की दरें निम्नांकित स्पेशिफिकेशन के अनुसार सावधानी पूर्वक निर्धारित कॉलम में भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा सामग्री की दरें अंकों एवं शब्दों में BOQ अंकित करें।

1 डेस्कटॉप कम्प्यूटर मेंक.........................मॉडल..........................वारंटी अवधि..........................

2 प्रिंटर मेंक..........................मॉडल..........................वारंटी अवधि..........................

3 यूपीएस..........................मॉडल..........................वारंटी अवधि..........................

(बोलीदाता द्वारा भरा जाना अनिवार्य है।)

<table>
<tr><th>क्र0 स0</th><th>प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस का विवरण/स्पेशिफिकेशन</th><th>कम्प्यूटर, प्रिन्टर व यूपीएस की मात्रा</th><th>प्रति कम्प्यूटर/प्रिन्टर/यूपीएस राशि रु0 में (समस्त कर/जीएसटी सहित) अंको/शब्दों में</th><th>मैक व मॉडल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1. Computer & allied items:
(a) Supply Installation of – Desktop Computer (Qty 15)
<table>
<tr><th>Item</th><th>Minimum Technical Specification</th></tr>
<tr><td>Processor</td><td>Intel i5/ AMD Ryzen-5 (9th Generation/ equivalent AMD) 6 Core, with minimum 3.0 GHz or higher(Base Frequency), 9 MB Cache or higher</td></tr>
<tr><td>Chipset</td><td>Compatible Intel/ AMD Chipset</td></tr>
<tr><td>Operating system</td><td>Windows 10 Professional 64 bit preloaded with OEM recovery partition / Recovery DVD</td></tr>
<tr><td>Graphics</td><td>Integrated/ Discrete Graphics Card</td></tr>
<tr><td>Memory (RAM)</td><td>8 GB DDR4 2666 MHz or higher</td></tr>
<tr><td>Storage</td><td>1 TB 7200 RPM SATA DRIVE</td></tr>
</table></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

	Ports	Minimum 6 USB ports out of which Min 2 USB 3.0 or higher, 1 - Display Port / HDMI, audio jack for headphone & mic				
	Display	Minimum 23.5" inch or higher HD Plus (Resolution 1920x1080) or higher Display, TCO Certified				
	Antivirus	Preloaded (Latest Version) Internet Security of Trend Micro/ Quick Heal/ Symantec/ Sophos/ Kaspersky with 3 years subscription				
	Certification	ROHS Compliance, BEE/ Energy Star Certified, EPEAT Certified				
	Keyboard & Mouse	OEM USB Keyboard & OEM USB Mouse With Pad				
	Network Interface	Integrated 10/100/1000				
	Office	Open office updated version (freeware)				
	Accessories	All necessary cables (Power & data cables) to be included				
	Warranty	3 years comprehensive on site OEM warranty from date of installation				
2	यूपीएस का स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार है – **UPS (1 KVA Offline)(QTY-15)** (see table below)		15			
3.	**(b) Supply Installation of Network Multi Functional Laser Printer (MFP) (qty 4)** (see table below)					

यूपीएस का स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार है –

UPS (1 KVA Offline)(QTY-15)

Item	Minimum Technical Specification
UPS Capacity	1 KVA
Warranty	3 years comprehensive on site OEM warranty from date of installation excluding Battery
Protection	Full protection
Certification	BIS certification for the quoted model
User Display	Display for input & output voltage and battery charging
Voltage	230V + -10%
Range	160V – 280V
Power Factor	0.6 or higher
Back up time	Minimum 30 Minutes with minimum 9AH or higher 12V battery (SMF) time to meet backup time
Test Report	OEM should submit test report for the quoted model issued by state/central laboratory (not old from last 5 years)

(b) Supply Installation of Network Multi Functional Laser Printer (MFP) (qty 4)

Item	Minimum Technical Specification
Type of Machine	Multifunction Machine
Printing Method	Monochrome laser
Printing Technology	Laser (Black)

Scanned by CamScanner

	Printer Speed	25 ppm				
	Input Tray Capacity	100 pages or higher				
	Printer Resolution	600 x 600 dpi or higher				
	RAM Size/ Memory	256 MB	04			
	Connectivity	On USB, Ethernet				
	Duty Cycle (Monthly)	10000 Pages				
	Auto Duplex Print for A4 or Legal	Yes				
	Functions	Print, Copy, Scan				
	Scanning feature	Yes				
	Scan Type/Technology	Flatbed with ADF				
	Scan file format	PDF, JPEG, TIFF, BMP etc.				
	Media size supported	A4, A5, Legal				
	Scan Speed	15 ppm or higher				
	Scan resolution	600 x 600 dpi or higher				
	Copy resolution	600 x 600 dpi or higher				
	Toner / Cartridge	Laser Black toner cartridge pre installed				
	Wi-Fi	Yes				
	Energy Star	Yes				
	Compatible Operating System	Window 7, 8, 10 (32/64 Bit, Linux - Mac OS)				
	Cables/Accessories	All the required cables, Accessories.				
	Software media	Driver & Utility Software CD/DVD				
	BIS Registration	Yes				
	Other Certifications	UL, CE				
	Warranty	3 years comprehensive on site OEM warranty from date of installation				

1. उक्त दरों मे जीएसटी नियमानुसार सम्मिलित है।
2. बिड में दी गई प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस की संख्या में विभागीय निर्देशानुसार कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।
3. प्रिन्टर/कम्प्यूटर/यूपीएस का मेक अंकित करना होगा।
4. कम्प्यूटर/प्रिंटर व यूपीएस आपूर्ति के साथ स्थापित (Installation) करने होंगे।
5. उपकरण परिशिष्ठ "एफ" के स्पेशिफिकेंशन के अनुसार ही आपूर्ति करनी होंगे।
6. प्रस्तुत दरें इस कार्यालय पर एफ.ओ.आर व मय इन्स्टालेशन होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व

पूरा पता मय सील

मोबाइल नंबर

ईमेल

G:\Computer_Printer E Tender.docx

Scanned by CamScanner

निविदादाताओं द्वारा घोषणा
(देखिए नियम 48 (vii)

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते है कि मैने/हमने जिन कम्प्यूटर, प्रिन्टर व यूपीएस (Installation सहित) के लिए निविदा दी है उनका / उनके / मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

नोटः–संबंधित पर राईट का निशान लगावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

Scanned by CamScanner

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.:-----------------------------------

Name :--------------------------------------

In the capacity of :-------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Scanned by CamScanner

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Scanned by CamScanner

D

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is --------------

The designation and address of the Second Appellate Authority is ----------

1. Filling an appeal

Scanned by CamScanner

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved .

:Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates theTechnical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

(a) **An appeal under** para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or

Scanned by CamScanner

banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. **Procedure for disposal of Appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit

prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM No. 1

[*See rule 83*]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer : ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Scanned by CamScanner